दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>आप.पू.या. सं. 399/2009</u>

निर्णय की तिथि:18.08.2009

रणबीर कौशिक

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री एन.एस. दलाल, अधिवक्ता

बनाम

बी.एस.ई.एस.आर.पी. लिमि.

....प्रत्यर्थी

द्वारा: स्श्री अंजलि शर्मा के साथ

श्री पंकज, अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. शाली

- 1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमित दी जा सकती है?
- 2. संवाददाताओं से संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं?
- 3. क्या डाइजेस्ट में निर्णय को प्रकाशित किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ

न्या. वी. के. शाली (मौखिक)

1. यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका है जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने श्री अनूप कुमार मेंदिरता, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष विद्युत न्यायालय, द्वारका, नई दिल्ली द्वारा 2 जून, 2009 को पारित आदेश को चुनौती दी है। उपरोक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा करते समय विद्वान

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूर्व शर्त के रूप में चोरी निर्धारण बिल हेतु
7,00,000/- रुपए की राशि जमा करने के संबंध में कोई शर्त नहीं लगा सकते
थे।

- 2. मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताया गया है कि याचिकाकर्ता से संबंधित संपत्ति सं. 22-बी, ब्लॉक-एनडब्ल्यू, विष्णु गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-1 में दुकान सं. 5 वाले परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि परिसर में स्थापित मीटर में कोई डिस्प्ले नहीं था, जबिक सम्बन्धित भार की खपत उक्त मीटर से हो रही थी। कनेक्शन विफल होने के कारण सी.एम.आर.आई. डेटा को डाउनलोड नहीं किया जा सका। प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता ने देखा कि उक्त मीटर के ऑप्टिकल पोर्ट पर उच्च वोल्टेज स्पार्किंग के निशान/जलने के निशान थे जो दर्शाते हैं कि बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता द्वारा मीटर को उच्च वोल्टेज पर रखा गया था। तदन्सार, याचिकाकर्ता पर आरोप था कि वह छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से बिजली का उपभोग कर रहा था और औद्योगिक उद्देश्य हेत् स्वीकृत 41 किलोवाट के लोड के मुकाबले कुल कनेक्टेड लोड 132.132 किलोवाट पाया गया।
- 3. 9 सितंबर, 2008 को मीटर को जब्त करने के उद्देश्य से आगे का निरीक्षण किया गया था, हालांकि, 6 सितंबर, 2008 को देखा गया मीटर जानबूझकर जलाया गया था और उससे मिटटी के तेल की गंध आ रही थी। याचिकाकर्ता

को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि उसकी बिजली की खपत का आकलन धोखाधड़ी से इस्तेमाल के आधार पर किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, 26 सितंबर, 2008 को एक सकारण आदेश पारित किया गया, जिसमें 93,78,630/- रूपए की राशि के चोरी निर्धारण बिल का मृद्दा उठाया गया था। औपचारिकताओं को पुरा करने के बाद प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता ने विशेष विदयुत न्यायालय में एक शिकायत मामला दायर किया, जिसकी स्नवाई 22 ज्लाई, 2009 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष ह्ई। याचिकाकर्ता वारंट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ उक्त न्यायालय के समक्ष पेश ह्आ क्योंकि न्यायालय की उदारता प्राप्त करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से लगातार बचने के कारण उसे फिर से वारंट जारी किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एक कथन दिया कि वे स्वेच्छा से बिल के चोरी निर्धारण हेत् 7,00,000/- रूपए की राशि जमा करने के लिए तैयार थे। 4. यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए कथन के आधार पर था विदवान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को 40,000/-रूपए की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि का प्रतिभू प्रस्त्त करने की इस शर्त के साथ जमानत को स्वीकार करने का निर्देश दिया कि पक्षकारों के तर्कों पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना चोरी निर्धारण बिल हेत् याचिकाकर्ता द्वारा अपनी स्वेच्छा से 7,00,000/- रूपए की राशि का तीन किश्तों में भ्गतान किया जाना है। पहली किस्त 3 लाख रूपए की होगी जिसे 2

जून, 2009 से एक महीने की अविध के भीतर जमा किया जाना था और उसके बाद 2 लाख रूपए की शेष दो किश्तों को छह-छह सप्ताह की अविध के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश 2 जून, 2009 को पारित किया गया था।

5. जमानत के उपरोक्त लाभ का उपयोग करने के बाद वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है और यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 7,00,000/- रूपए जमा करने के संबंध में कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुनीश भसीन और अन्य बनाम राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) और अन्य (2009) 4 एससीसी 45, सुरेश चंद्र रमन लाल बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2008) 7 एससीसी 591 और एच. एस. पन्नू बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार और अन्य 145 (2007) डीएलटी 101 के मामले पर निर्भर किया।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि 7,00,000/- रूपए की जमा राशि के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया था। जो की वास्तव में यह याचिकाकर्ता और उसके अधिवक्ता ही थे जिन्होंने अपने खिलाफ वारंट के निष्पादन और लगातार अनुपस्थिति के कारण जेल जाने के दर से बचने के लिए स्वेच्छा से राशि जमा करने की पेशकश की थी। उन्होंने

स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता अर्जित करने के लिए चोरी निर्धारण बिल हेतु 7,00,000 रूपए की राशि जमा की। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रतिवाद किया कि ऐसे मामले के बीच अंतर किया जाना चाहिए जहां न्यायालय द्वारा इस तरह की शर्त उस मामले के विरुद्ध लगाई गई थी, जबिक उस मामले के विपरीत जहां एक याचिकाकर्ता/अभियुक्त या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से जो स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिकृल प्रभाव और विवाद के चोरी मूल्यांकन बिल हेतु राशि जमा करता है। बाद के मामले में इसे न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्त नहीं बताई जा सकती है, और इसलिए, जमानत आदेश मिलने के बाद किसी पक्ष द्वारा उस पर हमला नहीं किया जा सकता है।

- 7. मैंने पक्षकारों की संबंधित दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अध्ययन किया है।
- 8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भी 29 जुलाई, 2009 को एक शपथ पत्र दायर किया है जिसमें उस बयान को समझाने की कोशिश की गई है जो कथित तौर पर उसके अधिवक्ता द्वारा स्वेच्छा से निम्नानुसार देखकर बनाया गया है:-

"कि जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हुई। यदि मेरे अधिवक्ता ने स्वेच्छा से एक निश्चित राशि जमा करने के लिए कथन नहीं दिया होता तो उस समय यह निश्चित था कि विदवान विचारण न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी होती और मुझे न्यायिक हिरासत में भेज दिया होता। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि मेरे अधिवक्ता ने शुरू में स्वेच्छा से 3,00,000/- रूपए जमा करने के लिए कथन दिया-जिस पर विद्वान विचारण न्यायालय सहमत नहीं था। तब मेरे अधिवक्ता ने 5,00,000/- रूपए का अनुरोध किया, जिस पर भी विद्वान विचारण न्यायालय सहमत नहीं हुआ। अंत में जमा की जाने वाली राशि 7,00,000/- रूपए पर तय हुआ। जेल में होने और जमानत याचिका खारिज होने की आशंका के तहत, मेरे अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त बयान दिया गया। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि परिस्थित ने मेरे अधिवक्ता को 7,00,000/- रूपए जमा करने हेत् कथन देने के लिए मजबूर किया।"

9. शपथ पत्र के उपरोक्त उद्धरण के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता अपनी उपस्थिति के निरंतर अभाव के कारण गलत थे और उसने जमानत की अविध बढ़ाने की मांग की थी क्योंकि उसे आशंका थी कि उसे जेल भेजा जाएगा, इसलिए उसने स्वेच्छा से अपने स्वयं के चोरी मूल्यांकन बिल हेतु 7,00,000/- रूपए की राशि जमा करने की पेशकश की। याचिकाकर्ता द्वारा अब जो तर्क दिया गया है वह यह है कि यदि उसने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया होता तो उसे जेल भेज दिया जाता, इसका कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि उक्त कथन उसके अधिवक्ता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरेश चंद और मुनीश भसीन के मामले (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी पक्ष को जमानत पर रिहा करते समय केवल एक शर्त लगाई जा सकती है जो न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, लेकिन यह

उस मामले को कवर नहीं करेगा जहां अपनी मर्जी से कोई पक्ष जमानत का लाभ लेने के लिए आगे आता है। इसी पृष्ठभूमि में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 2 जून, 2009 को विभिन्न किश्तों में 7,00,000/- रूपए जमा करने की वर्तमान शर्त को पारित किया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस स्वैच्छिक कथन के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए सात लाख रूपए जमा करने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन था।

10. जहाँ तक एच.एस. पन्नू के मामले (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय का संबंध है, यह भी इसी प्रस्ताव को प्रतिध्वनित करता है कि चोरी के मामलों में अग्रिम जमानत देते समय विशेष न्यायालय को आम तौर पर जमानत देने के लिए एक पूर्ववर्ती के रूप में कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए क्योंकि यह बिजली कंपनियों की ओर से विशेष न्यायालय को वसूली न्यायालय के रूप में कम करता है। लेकिन उक्त निर्णय के तथ्य एच.एस. पन्नू के मामले (पूर्वोक्त) में भी इस तथ्य के कारण वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं कि ऐसे मामले में अंतर किया जाना चाहिए जहां न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने हेतु पूर्व जमा राशि के रूप में एक शर्त लगाई जाती है और ऐसे मामले में जहां आरोपी स्वयं अपना भुगतान करने हेतु स्वेच्छा से भुगतान करता है। वर्तमान मामला निश्चित रूप से बाद की श्रेणी में आता है और तदनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय या इस

न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन नहीं करता है। इसके विपरीत, इस दृष्टिकोण से इस मामले को 24 जनवरी 2008 को निर्णित संजीत मिलक और अन्य बनाम राज्य (रा.रा.क्षे.) और अन्य, आप.पु.या. सं. 360/2007 मामले में इस न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश के निर्णय से समर्थन मिलता है।

11. ऊपर वर्णित कारणों से, मुझे लगता है कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 2 जून, 2009 के आदेश में कोई अवैधता, अनुचितता या अनौचित्यता नहीं है और वर्तमान याचिका गलत है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

न्या. वी. के. शाली

18 अगस्त, 2009 केपी

(Translation has been done through Al Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।